

पत्रांक-01/कार्य-30-40/2026...../
मुख्य अभियंता का कार्यालय
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।
E-mail-cewrdooffice@gmail.com

प्रेषक,

ई० दीपक कुमार,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

मोतिहारी, दिनांक.....2026

विषय:- त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल अंतर्गत त्रिवेणी शाखा नहर के कि०मी०-124.96 पर 3x5mx3m आकार का पुलिया निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण में सैद्धान्तिक सहमति के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल का पत्रांक-257 दिनांक-24.02.2026 तथा अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल का पत्रांक-1516 दिनांक-28.08.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-485 दिनांक-29.08.2024 के आलोक में तकनीकी जाँच समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में तकनीकी जाँच समिति द्वारा लिये गये निर्णय/अनुशंसा के आलोक में आपको विषयांकित स्थल पर प्रथम चरण में पुलिया निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जाती है:-

1. नहर के प्रस्तावित पुल निर्माण के U/S में 50 मी० एवं D/S में 50 मी० की लम्बाई में नहर का सुरक्षात्मक कार्य यथा-पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य इत्यादि कार्यकारी विभाग (कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल) को अपने खर्च से कराना होगा, नहर के मूल स्वरूप में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं किये जाने, सेवापथ की Continuity बनाये रखने तथा नहर भाग में आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य का प्रावधान करना सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रस्तावित स्थल पर पुलिया निर्माण कार्य हेतु मात्र सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान किया जा रहा है। मात्र सैद्धान्तिक सहमति के आधार पर संरचना का वास्तविक निर्माण नहीं किया जाय।
3. तदनुसार प्रस्तावित स्थल के जलीय एवं भूगर्भीय आँकड़ों के आधार पर प्रस्तावित संरचना का तकनीकी रूपांकण एवं आलेख्य अपने संबंधित सक्षम तकनीकी प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त द्वितीय चरण हेतु संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से NOC निर्गत करने का प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दीपक कुमार)

मुख्य अभियंता,

सिंचाई सृजन,

जल संसाधन विभाग, मोतिहारी।

ज्ञापक-01/कार्य-30-40/2026...../

मोतिहारी, दिनांक-...../2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि वर्णित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विभागीय परिपत्र संख्या-485 दिनांक-29.08.2024 में वर्णित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही यह भी निदेश है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि नहर संचालन के दौरान उक्त के आधार पर किसी प्रकार का कार्य कार्यस्थल पर न हो। अन्यथा की स्थिति में इसकी सारी जवाबदेही क्षेत्रीय अभियंताओं की होगी।

ह०/-

मुख्य अभियंता,

सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

ज्ञापांक-01/कार्य-30-40/2026...3202/

मोतिहारी, दिनांक-08/09/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय पत्रांक-189
दिनांक-22.07.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता,

सिंचाई सृजन, मोतिहारी।

8/9/26

(6)